रूआबांधा के निठारी बाबा तांत्रिक ईश्वरी यादव अपनी पत्नी व सहयोगी सहित गिरफ्तार । हत्या के दो प्रकरण का राज खुला ।

आरोपी तंत्र सिद्धि के लिये अपने कथित शिष्यों के साथ षड़यंत्रपूर्व की हत्या

दिनांक 23.11.2010 को 19.00 बजे प्रार्थी पोषण आ.फत्ते राजपूत 28 वर्ष साकिन रूआबांधा थाना भिलाई नगर की रिपोर्ट पर उसके दो वर्षीय बच्चे चिराग के गुम हो जाने की सूचना पर थाना भिलाई नगर में गुम इंसान कमांक–91/2010 कायम किया गया था । अबोध बच्चे के अचानक गुम हो जाने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक, दुर्ग श्री अमित कुमार, भापुसे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, श्री एम.एल. कोटवानी एवं श्री आर.के. चौबे, उप पुलिस अधीक्षक, काईम, दुर्ग व्दारा तत्काल नगर पुलिस अधीक्षक, दुर्ग रवीन्द्र उपाध्याय के नेतृत्व में काईम ब्रान्च के निरीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी एवं थाना भिलाई नगर की टीम को सुरागरसी एवं बरामदगी के लिये लगाया गया । बच्चे की पतासाजी के दौरान काईम ब्रान्च की टीम को जरिये मुखबीर की सूचना मिली कि गुम बालक के पड़ोस में रहने वाले ईश्वरी यादव आ. केवल एम. यादव, 37 वर्ष एवं उसकी पत्नी किरण बाई 35 वर्ष दोनों तंत्र सिद्धि के लिये विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान एवं हवन पूजन करते रहते हैं, जिनके व्दारा तंत्र सिद्धि के लिये सुरादेव यादव, हेमन्त साहू रूआबांधा, अजय यादव तंबी उर्फ कृष्णा साकिन रूआबांधा, राजेन्द्र महार साकिन रूआबांधा, महानंद यादव, खान बाबा को अपना शिष्य बनाया गया है, जो अक्सर ईश्वरी यादव के घर आकर हवन–पूजन करते रहते हैं, जो ईश्वरी यादव एवं उसकी पत्नी को गुरूदेव एवं गुरूमाता के नाम से पुकारते हैं । साथ ही घटना समय 23.11.2010 के 15.00 बजे से शाम 8.00 बजे तक ईश्वरी यादव के घर पर उसके शिष्य महानंद यादव, अजय यादव, हेमन्त साहू, सुरादेव यादव, कल्लू उर्फ खान बाबा उर्फ निहालुद्दीन, तंबी, उर्फ कृष्णा यादव आदि को देखा गया है । सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस टीम व्दारा ईश्वरी यादव उर्फ गुरूदेव एवं उसकी पत्नी गुरूमाता उर्फ किरण बाई से कड़ी पूछताछ की गयी, जो पहले तो इधर–उधर की बातें करते रहे, परन्तु पुलिस पूछताछ में ज्यादा टिक नहीं पाये एवं गुम बच्चे चिराग राजपूत उम्र 2 वर्ष का उसके घर के सामने से अपहरण कर अपने घर अंदर तंत्र सिद्धि अनुष्ठान में अपने शिष्यों के साथ मिलकर उसकी बली देकर हत्या करना स्वीकार किये ।

आरोपीगण से पूछताछ पर खुलासा हुआ कि ईश्वरी यादव व उसकी पत्नी किरण बाई अपने आप को काली मां का परम भक्त बताकर रूआबांधा स्थित आजू–बाजू के दो घर में तांत्रिक अनुष्ठान किया करते थे तथा तंत्र सिद्धि हेतु महानंद यादव, अजय यादव, हेमन्त साहू, सुखदेव यादव, निहालुद्दीन उर्फ कल्लू उर्फ बाबा खान, तम्बी उर्फ कृष्णा, राजेन्द्र यादव को अपना शिष्य बनाये थे तथा उन्हें धनवान बनाने का प्रलोभन देकर उनसे तंत्र सिद्धि हेतु अनुष्ठान करवाते थे । इस कृत्य में आरोपी ईश्वरी यादव अपने लड़के प्रिन्स यादव 19 वर्ष, लडकी प्रिया यादव 14 वर्ष एवं प्रीति यादव 16 वर्ष को भी शामिल कर रखा था तथा उन्हें अपना उत्ताराधिकारी बनाना चाहते थे ।

तंत्र सिद्धि हेतु मुख्य आरोपी ईश्वरी यादव एवं उसकी पत्नी किरण बाई अपने शिष्य राजेन्द महार, महानंद यादव एवं अजय यादव के साथ मिलकर मार्च 2010 में एक बच्चे की बलि देने की योजना बनायी तथा बच्चे की खोजबीन करने लगे । इसी तारतम्य में 4–3–2010 को दुर्ग सिविल लाईन स्थित सांई मंदिर के पीछे से आरोपी राजेन्द्र महार एवं महानंद यादव मोटर सायकल से कुमारी मनीषा पुत्री वीरू देवार 6 वर्ष साकिन फोकट पारा दुर्ग का अपहरण कर ईश्वरी लाल के घर लाये एवं वहां पर गली रेत कर उसी बलि देकर हत्या कर दिये एवं लाश को घर के अंदर पूजा स्थल पर जमीन खोदकर उसमें गाड़ दिये । 6–7 माह तक तंत्र सिद्धि नहीं होने पर गुरूमाता एवं गुरूदेव उर्फ ईश्वरी यादव दोनों दीपावली के पूर्व अपने शिष्य हेमन्त साह अजय यादव, महानंद यादव, खान बाबा, सुखदेव यादव एवं तम्बी उर्फ कृष्णा के साथ मिलकर एक और बच्चे की बलि देने का षड़यंत्र तैयार किये । इस हेतु मुख्य आरोपी ईश्वरी यादव व उसकी पत्नी किरण बाई ने अपने शिष्य हेमन्त साहू, सुखदेव, खान बाबा, तम्बी उर्फ कृष्णा एवं अजय यादव को पांच पांडव बनाकर एक बच्चा बलि हेतु लाने की कसम खिलाई उसी समय से ये सभी एक बच्चे की तलाश में थे । रूआबांधा के पोषण राजपूत का 2 वर्षीय बालक चिराग पर ईश्वरी यादव व उसकी पत्नी काली माता उपासक किरण बाई की नजर काफी दिनों से थी । घटना दिनांक 23.11.2010 को दोपहर लगभग 2.00 बजे चिराग अपने घर के सामने खेल रहा था, उस समय आरोपी ईश्वर यादव, किरण बाई, महानंद, अजय, हेमन्त, सुखदेव, खान बाबा, तम्बी उर्फ कृष्णा सभी तंत्र सिद्धि हेतु ईश्वर यादव के मकान में मौजूद थे । षड़यंत्रकर्ता किरण बाई एवं ईश्वरी यादव के आदेश पर उनके शिष्य हेमन्त साहू व अजय यादव व्दारा चिराग उम्र 2 वर्ष का उसके घर के सामने से अपहरण किया जाकर ईश्वरी यादव के घर लाया गया जहां पर सभी आरोपीगण नर बलि हेतु पहले से तैयार थे । सभी ने चिराग को काला टिका एवं सिंदूर लगाया । षड़कर्ता किरण बाई ने शिष्य महानंद यादव को राजनांदगांव भेजा । राजनांदगांव भेजकर अपने लड़के प्रिन्स एवं लड़की को बुलाकर उनसे भी अपहृत बालक चिराग की पूजा अर्चना करायी एवं सभी ने मिलकर उसकी चाकू से गला रेतकर एवं जीभ काटकर बलि देकर हत्या कर दी । लाश को घर के अंदर पूजा स्थल पर जमीन में गढ्डा कर गाड़कर छिपा दिये । पश्चात् महानंद यादव तत्काल ईश्वरी के लड़के प्रिन्स एवं लड़की को वापस राजनांदगांव छोड़ दिया ।

प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी मुख्य षडयंत्रकर्ता ईश्वरी यादव व उसकी पत्नी किरण बाई की निशानदेही पर चिराग उम्र 2 वर्ष की सिर कटी लाश को जमीन खोदकर उसके रहवासी मकान से निकाला गया है । साथ ही बाजू से 4 मार्च 2010 को अपहृत कुमारी मनीषा का नरकंकाल बरामद किया गया है । दोहरे हत्याकाण्ड एवं नरबलि को लेकर रूआबांधा बस्ती में काफी आक्रोश है, जिसे देखते हुये वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है ।

प्रकरण में अपहृत बालक चिराग के संबंध में अपहरण एवं हत्या किये जाने से संबंधी अप.क.– 515/2010 कायम किया गया है एवं आरोपीगणों से घटना में प्रयुक्त आलाजरर एवं अन्य सामग्री बरामद कर ली गयी है तथा प्रकरण में संलिप्त आरोपी ईश्वरी यादव आ. केवल राम यादव, 37 वर्ष साकिन बजरंग चौक रूआबांधा, 2–किरण बाई पत्नी ईश्वरी यादव 35 वर्ष साकिन बजरंग चौक रूआबांधा 3– महानंद यादव पिता जनकलाल यादव 31 वर्ष साकिन हनोंदा थाना उतई 4– अजय यादव पिता देवासिंह यादव 18 वर्ष साकिन यादव चौक रूआबांधा

5– हेमन्त साहू पिता गांधी साहू उम्र 28 वर्ष बजरंग चौक रूआबाधा 6– सुखदेव यादव पिता लोटन यादव 35 वर्ष रूआबांधा 7– निहालुद्दीन उर्फ कल्लू उर्फ खान बाबा पिता स्व. नूर मोहम्मद 60 वर्ष रूआबांधा, 8– राजेन्द महार पिता तुकाराम महार उम्र 24 वर्ष साकिन रूआबांधा को गिरफतार कर लिया गया है । प्रकरण में एक आरोपी तम्बी उर्फ कृष्णा फरार है ।